| हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| --- | --- |
| 25/3/21 | |
| पत्रावली पेश हुई/ वुकलाय उपस्थित प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 251-ए को स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर आज तस्दीक शामिल मिसल किया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील दाखिल रिकार्ड हो। | |
| (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी खींवसर (नागौर) | |

3. प्रश्नगत रास्ता निकटतम होना चाहिये :–

प्रश्नगत रास्ता निकटतम एवं सरल, सुगम होना चाहिये, प्रश्नगत रास्ता सरल, सुगम, कटतम है जो तहसीलदार खींवसर की रिपोर्ट से साबित होता है ।

विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर मौजुद दस्तावेजात एवं सीलदार खींवसर की रिपोर्ट का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया । जिससे यह सुस्पष्ट होता है प्रार्थीगण के द्वारा चाहा गया रास्ता के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है ।

विद्वान अधिवक्ताओं की बहस एवं तहसीलदार खींवसर की रिपोर्ट से यह भी ताईद होता है वर्तमान में वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध पहर है तथा प्रश्नगत रास्ता ही सरल, सुगम, निकटतम है समें कम से कम रकबा .........प्रभावित हो रहा है इसलिए उक्त रास्ता दिया जाना न्यायोचित है सका प्रार्थीगण आज दिनांक तक उपयोग उपभोग करते आ रहे है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ की प्रार्थीगण को उक्त रास्ते की ांन्त आवश्यकता हैप्रश्नगत रास्ता सरल, सुगम, निकटतम एवं कम से कम रकबा प्रभावित होने ना रास्ता है और यही अन्तर्गत धारा 251 अ की मषां है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का उक्त वेदन अन्तर्गत धारा 251 अ स्वीकार करने योग्य होने की वजह से स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार खींवसर को यह आदेश दिये जाते है कि :–

## आदेश

अतःप्रार्थीगणको अपने खेतों में आने जाने के लिए खेत खसराप्रार्थीगण के खातेदारी कब्जा काश्त के खेत खसरा नबंर 967/1 में आने जाने के रास्ता अप्रार्थी के खेत ख.न. 35/967 की दक्षिणी सींव होकर आगे चलने वाले कटाणी रास्ता तक 15 फुट चौडा घोषित किया ता है, तथा प्रार्थीगण को अपने खेतों में आने जाने के लिए खेत खसरा अप्रार्थी ख.न. 35/967 में से लम्बाई 310 चौडाई 15 फुट चोड़ाई में रास्ता घोषित किया जाता है। जिसका कुल 50 वर्ग फुट का प्रभावित रकबा 00.05 बिश्वा की प्रतिकर राशि 3090/– का ढाई गुना प्रतिकर क राशि 7725/– रूपये राजकोश में प्रार्थीगण से जमा करवाई जाकर उक्त रास्ते का राजस्व कार्ड में अंकन कर उक्तानुसार राजस्व नक्शे में तरमीम करने हेतु तहसीलदार खींवसर को आदेश ये जाते है। उक्त राशि का प्रभावित रकबा अनुसार राशि का वितरण खातेदारों को किया जावें है प्रकार उक्त राशि का भुगतान कर उक्त आदेश की पालना की जानी है। उक्त रास्ते पर सी भी पक्षकारान का निजी स्वामित्व नहीं रहेगा । यह रास्ता एक सार्वजनिक रास्ता रहेगा जो भी के लिए उपयोग उपभोग में काम आयेगा। यदि उपरोक्त खसरान पर किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्त आदेश की पालना कर अवगत करावे।

ट:– उपरोक्त खसरान पर किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्त आदेश की पालना कर अवगत करावे। र्वा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

राजकेश मीना RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर

उक्त आदेष आज दिनांक 25.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

राजकेश मीना RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर